भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 291

दिनांक 12.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किए गए गांव/परिवार

***291. श्री मलैयारासन डी.:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत तमिलनाडु में जिला-वार कितने गांवों और ग्रामीण परिवारों को सम्मिलित किया गया है;
(ख) राज्य में जल गुणवत्ता परीक्षण, स्रोत स्थिरता और कार्यशील नल कनेक्शनों की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) जलापूर्ति प्रणालियों के उचित प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या कार्यान्वयन की प्रगति पर नज़र रखने के लिए कोई प्रौद्योगिकी-आधारित निगरानी और शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इष्टतम प्रभाव के लिए जल जीवन मिशन को अन्य जल संरक्षण और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी आर पाटिल)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

तमिलनाडु में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किए गए गांव/परिवार के संबंध में श्री मलैयारासन डी. द्वारा पूछे गए दिनांक 12.03.2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *291 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): अगस्त 2019 से, भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु सुरक्षित और पर्याप्त नल जल कनेक्शन का प्रावधान करने के लिए तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है।

तमिलनाडु द्वारा जेजेएम-आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, 15.08.2019 को जेजेएम की शुरुआत के समय में, केवल 21.76 लाख (17.37%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, लगभग 90.46 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 08.03.2026 तक, राज्य के 125.26 लाख ग्रामीण परिवारों में से 112.22 लाख (89.59%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन की व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य ने हर घर जल (एचजीजे) के रूप में 8,290 गांवों की सूचना दी है। तमिलनाडु में जेजेएम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किए गए नल जल कनेक्शनों और एचजीजे सूचित किए गए गांवों की जिले-वार स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य द्वारा जेजेएम-आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य में 113 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। वर्ष 2025-26 में, प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए लगभग 8.74 लाख नमूने प्राप्त हुए हैं और एफटीके के माध्यम से 45,457 नमूनों का परीक्षण किया गया है। इसके अलावा, जल गुणवत्ता की निगरानी करने हेतु समुदायों को सशक्त बनाने के लिए, तमिलनाडु राज्य ने एफटीके परीक्षण के लिए 62,898 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है।

इसके अलावा, "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" अभियान स्रोत स्थिरता और जल संरक्षण उपायों को बढ़ावा देता है, स्थानीय समुदायों को शामिल करता है और महिलाओं की भूमिकाओं पर जोर देता है।

(ग): पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं सहित योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जेजेएम को एक विकेंद्रीकृत, मांग-संचालित और समुदाय-प्रबंधित कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित और कार्यान्वित किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति/उपयोगकर्ता

समूह, अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति को ग्रामीण परिवारों हेतु नियमित और आश्वासित नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गांव में जल आपूर्ति प्रणाली की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, जेजेएम के कार्यान्वयन हेतु कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में ग्राम समुदाय की सहभागिता से ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* अन्य स्कीमों के सामंजस्य के माध्यम से पेयजल स्रोतों का सुदृढ़ीकरण शामिल है।

जेजेएम के तहत टिकाऊ और निरंतर सेवा प्रदायगी हेतु जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, जल अर्पण पहल के तहत एक मानकीकृत "समुदाय-प्रबंधित पाइपगत जल प्रणालियों संबंधी पुस्तिका" जारी की गई है। पुस्तिका के माध्यम से जल आपूर्ति योजनाओं के सुचारू हस्तांतरण और टिकाऊ संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी/पानी समिति के सदस्यों को शामिल करते हुए 15 दिनों के परीक्षण का अधिदेश दिया गया है। इसके अलावा, जल सेवा आकलन को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों की कार्यशीलता और सेवा प्रदायगी का मूल्यांकन करने के लिए ग्राम पंचायत के नेतृत्व वाले डिजिटल मूल्यांकन साधन के रूप में शुरू किया गया है।

इसके अलावा, स्थानीय ग्राम समुदाय को जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाने के लिए, स्थानीय युवाओं को आवश्यक कौशल से लैस करने और "नल जल मित्र" विकसित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से नल जल मित्र कार्यक्रम (एनजेएमपी) शुरू किया गया है ताकि ये प्रशिक्षित युवा स्कीम ऑपरेटरों के रूप में कार्य कर सकें और कुशल राजमिस्त्री, प्लंबर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक और पंप ऑपरेटरों आदि के रूप में गांवों में पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं की मामूली मरम्मत और निवारक रखरखाव करने में समर्थ बन सकें।

(घ): जेजेएम के तहत, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर वास्तविक और वित्तीय प्रगति की सूचना दी जाती है तथा प्रदान किए गए सभी नल जल कनेक्शनों को परिवार के मुखिया के आधार नंबर से जोड़ा जाना होता है। जेजेएम के तहत सृजित परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी निगरानी संरचना का भी विस्तार किया गया है, राज्य स्तरीय पहुंच के अलावा, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) के अधिकारियों और ग्राम पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों को आईएमआईएस में शामिल किया जा रहा है, ताकि विकेन्द्रीकृत निगरानी और जमीनी स्तर पर बेहतर पर्यवेक्षण किया जा सके।

शिकायत निवारण के लिए, नागरिक भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्रामस) पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जिन्हें सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा जाता है।

(ङ): जेजेएम के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में पेयजल सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन, ग्रेवाटर प्रबंधन और ग्रामीण विकास से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की सामंजस्यता में कार्य करने का प्रावधान किया गया। इस तरह की सामंजस्यता से वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने और जल स्रोतों की उपलब्धता, गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार लाने में मदद मिलती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल संरक्षण, स्रोत स्थिरता और ग्रेवाटर प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के लिए वीबी-जी राम जी**,** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), एसबीएम-जी और अटल भूजल योजना जैसे कार्यक्रमों के साथ जेजेएम के कार्यकलापों को सामंजस्यता से करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दिशानिर्देशों में ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों के स्थायी संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास, क्षमता निर्माण और सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देते हुए विशेष रूप से गांव की अवसंरचना और जल की कमी वाले, जल गुणवत्ता से प्रभावित, जनजातीय और सूखा-प्रवण क्षेत्रों में सामंजस्यता स्थापित करने पर भी बल दिया गया है।

*****

अनुबंध

दिनांक 12.03.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *291 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	जिला	ग्रामीण परिवारों की संख्या	15/08/2019 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		08/03/2026 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		एचजीजे सूचित किए गए गांवों की संख्या
			संख्या	%	संख्या	%	
1.	अरियालूर	2,07,503	57,549	27.73	2,07,503	100	179
2.	चेंगलपट्टू	4,15,800	44,156	10.60	4,15,579	99.95	348
3.	कोयंबटूर	3,72,578	1,87,258	50.26	3,72,578	100	223
4.	कुड्डालोर	5,22,440	63,172	12.31	5,22,440	100	657
5.	धर्मपुरी	3,42,782	2,049	0.60	2,09,307	61.06	10
6.	डिंडीगुल	4,52,054	1,02,647	22.53	4,13,270	91.42	118
7.	इरोड	4,18,973	64,441	15.38	3,90,987	93.32	159
8.	कल्लाकुरिची	3,01,829	2,083	0.69	2,05,792	68.18	85
9.	कांचीपुरम	2,16,311	58,900	27.23	2,16,311	100.00	271
10.	कन्नियाकुमारी	2,16,738	79,464	36.66	2,16,738	100.00	81
11.	करूर	2,04,464	41,171	20.14	1,85,789	90.87	96
12.	कृष्णागिरी	4,09,435	5,158	1.26	2,97,655	72.70	57
13.	मदुरई	4,49,328	55,265	12.27	4,20,257	93.53	178
14.	मयिलादुयुरै	2,02,551	-	0.00	2,02,551	100	240
15.	नागपट्टिनम	1,57,116	22,823	14.50	1,09,164	69.48	44
16.	नमक्कल	3,62,228	58,650	16.66	3,62,228	100	294
17.	नीलगिरी	96,916	4,223	4.36	96,916	100	34
18.	पेरम्बलुर	1,46,735	19,113	12.88	1,36,769	93.21	100
19.	पुदुक्कोट्टे	3,69,509	52,109	14.06	2,22,401	60.19	52
20.	रामनाथपुरम	3,32,191	30,311	9.09	1,55,196	46.72	22
21.	रणीपेट	1,89,334	85,630	45.23	1,89,334	100.00	278
22.	सलेम	6,46,114	52,535	8.11	5,74,316	88.89	166
23.	सिवगंगा	3,27,234	57,739	17.35	2,53,781	77.55	177
24.	टेनकसी	3,42,341	64,652	18.96	2,49,035	72.75	75
25.	तंजावुर	4,21,955	1,51,249	35.84	4,21,955	100	594
26.	तेनी	1,85,013	54,638	29.53	1,85,013	100	82
27.	तूतुकुडी	3,65,524	36,905	10.34	3,21,141	87.86	220
28.	तिरुचिरापल्ली	4,72,403	1,28,756	27.20	4,44,751	94.15	323
29.	तिरुनेलवेली	2,80,255	40,712	14.31	2,46,803	88.06	95
30.	तिरुपत्तूर	2,12,012	66,713	30.94	2,12,012	100	160
31.	तिरुप्पूर	4,56,206	1,56,268	34.20	4,30,121	94.28	203
32.	तिरुवल्लुर	4,75,915	58,409	12.27	4,75,915	100	452
33.	तिरुवन्नामलई	5,30,392	85,300	16.07	5,29,632	99.86	814
34.	तिरुवारुर	3,04,730	63,898	20.94	2,47,639	81.27	229
35.	वेल्लोर	2,12,528	72,771	34.24	2,12,528	100.00	241
36.	विल्लुप्पुरम	4,37,317	5,213	1.18	4,37,317	100	675
37.	विरुधुनगर	4,68,993	44,141	9.34	4,31,476	92.00	258
कुल		**1,25,25,747**	**21,76,071**	**17.37**	**1,12,22,200**	**89.59**	**8,290**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस